प्रेस नोट　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　दिनांक 19.07.2024

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा,01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस, लूट के माल को बेचकर प्राप्त 6000/–रु0 व घटना में प्रयुक्त लाल रंग की अपाचे मोटर साइकिल बरामद।

☐दिनांक 05.07.2024 को थाना इंदिरापुरम के वसुन्धरा क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना कारित की गई। जिसके संबंध में थाना इंदिरापुरम पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.07.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की व सीसीटीवी फुटेज की मदद से प्राप्त जानकारी से लाल रंग की अपाचे मोटर साइकिल की चेकिंग की जा रही थी तभी 02 अभियुक्त लाल रंग की अपाचे मोटर साइकिल पर आये और पुलिस को देखकर मोटर साइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर वापस भागने लगे तभी पुलिस टीम ने पीछा किया व एक अभियुक्त शादाब को हिण्डन पुल कनावनी से मोटर साइकिल सहित पकड़ लिया तथा उसका साथी सलमान भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने घटना के सम्बन्ध में बताया कि कुछ दिन पहले सेक्टर- 03 वसुन्धरा में एक महिला से रोड पर टहलते हुए चेन लूटी थी। जिसमें वह जमीन पर गिर गयी थी इसके अतिरिक्त भी थाना इन्दिरापुरम की अन्य घटनाओं को भी स्वीकार किया। अभियुक्त ने पूछताछ में अपने पास तमंचा उस दिन होना बताया तथा रास्ते में हिण्डन बैराज के पास झाड़ियों में छिपाना बताया। जिसकी निशानदेही पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम तमंचे की बरामदगी हेतु हिण्डन बैराज पहुंची तो अभियुक्त द्वारा गाड़ी रुकवाकर आगे – आगे चलकर झाड़ी की तरफ इशारा कर झाड़ी से एक तमंचा निकालकर जो कि पहले से ही लोड था से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त शादाब के पैर में गोली लगी। जिसको घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शादाब पुत्र हबीबउर रहमान निवासी बंजारा चौक वीर अब्दुल हमीद कालोनी डबल टंकी थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।

फरार अभियुक्त का नाम व पता

सलमान पुत्र इकबाल वीर अब्दुल हमीद कालोनी डबल टंकी थाना विजय नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस, लूट के माल को बेचकर प्राप्त 6000/–रु0 व घटना में प्रयुक्त लाल रंग की अपाचे मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 690/24 धारा 304 बीएनएस 2023 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 625/24 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 522/2024 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 758/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1472/2016 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 628/2022 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 627/2022 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0 624/2022 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2024 को थाना मुरादनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि गार्द में नियुक्त आरक्षी सशस्त्र पुलिस पम्मी के द्वारा नगर पालिका परिषद मुरादनगर के गार्द रुम में अपने सरकारी शस्त्र राइफल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। आरक्षी के द्वारा आत्महत्या से पूर्व बनाया गया एक विडियो प्राप्त हुआ है , जिसमें आरक्षी के द्वारा खुद को अमित पुत्र महीपाल व उसके घर के सामने रहने वाली एक लड़की व लड़की की सहेली सोनिया उर्फ गुड्डन के द्वारा पिछले 02 वर्ष से मानसिक एवं आर्थिक रुप से प्रताड़ित किया जाना बताया गया , जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वांछित 02 महिला अभियुक्ता 1.प्राची उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम औरंगाबाद अहीर थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर 2.सोनिया उर्फ गुड्डन उम्र करीब 22 वर्ष पुत्री जसवीर सिंह नि0 ग्राम भावा भटौना थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड हाल पता म0न0 43 ड्रीम सिटी सरधना रोड थाना कंकरखेडा मेरठ को गिरफ्तार कर दिनांक 18.07.2024 को माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया।

दिनांक 1 8.07.2024 कोथाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इनपुट के माध्यम से वांछित अभियुक्त अमित यादव उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र महिपाल यादव निवासी ग्राम औरंगाबाद अहीर थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि प्राची मेरी पारिवारिक तहेरी बहन है, मुझे प्राची ने बताया था कि पिछले 03 साल से वह पम्मी के साथ रिलेशनशिप में थी । इस बात की जानकारी मुझे व प्राची की दोस्त सोनिया तेवतिया उर्फ गुड्डन को भी थी । मैं, प्राची व सोनिया तेवतिया उर्फ गुड्डन हम तीनों ने मिलकर प्राची के माध्यम से पम्मी से पैसे की मांग करते थे, प्राची हम लोगो के कहने पर पम्मी से रुपये की मांग करती थी । जिस पर पम्मी ने प्राची को कई बार करके लाखो रुपये दिये थे । फिर हमनें प्राची के माध्यम से पम्मी से और पैसो की मांग करने की योजना बनाई, जब प्राची ने पम्मी से फिर रुपयो की मांग की तो प्राची ने मुझे व सोनिया उर्फ गुड्डन को बताया कि पम्मी अब रुपये देने मे मना कर रहा है तब हमने योजना बनाई की प्राची तुम पम्मी को बलात्कार के मुकदमे मे फंसाने की बात करो इस पर वह और रुपये देगा तो प्राची ने फिर पम्मी को बलात्कार के मुकदमे मे फंसाने की धमकी दी थी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त–

अमित यादव उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र महिपाल यादव निवासी ग्राम औरंगाबाद अहीर थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्तगिरफ्तार ।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान हापुड़ मोदीनगर रोड पर पेट्रोल पम्प के पास से अवैध शस्त्र के साथ01 अभियुक्त अजय धामा पुत्र समय सिंह निवासी कस्बा व थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जारही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अजय धामा ने पूछने पर बताया कि तमन्चा व कारतूस को मैने काफी दिन पहले किसी से खरीद लिया था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता इसको चोरी छिपे अपने पास रखता हूँ । इससे मैं लोगों को डरा धमका देता हूँ ।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

अजय धामा पुत्र समय सिंह निवासी कस्बा व थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अवैध एकतमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त अजय धामा उपरोक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पूर्व में हत्या का 01 अभियोग थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा लोगों से वाहनों की धोखाधड़ी कर वाहनों को बेचने वाला वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से धोखाधड़ी से सम्बन्धित 04 कार बरामद।

दिनांक 07.07.2024 को वादी संजय सिंह सिकरवार पुत्र श्री विजय सिंह ,निवासी मकान नंबर 142 , प्रेम नगर-1 ,किरारी सुलेमान नगर, दिल्ली-110086 द्वारा एक लिखित तहरीर की दी गयी कि अभियुक्त सोनू यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी ग्राम करीपुर गढ़ हापुड उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा वादी की गाड़ियों को किराये पर लेकर वापस न करना तथा वापस मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.07.2024 को चेकिंग के दौरान रैड लाइट साहिबाबाद दिल्ली रोड़ से 01 अभियुक्त सोनू यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी ग्राम करीपुर गढ़ हापुड उम्र करीब 28 वर्ष को धोखाधड़ी से सम्बन्धित 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया , जिसके द्वारा पूछताछ करने पर धोखाधड़ी से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न स्थानों से अन्य 03 कार बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू यादव उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर लोगों से गाड़ी उनके नाम पर निकलवा कर तथा उनसे गाड़ी लेकर किराये पर लगवाने के नाम पर लेकर उन्हें एक-दो महीने किराया देते थे। उसके बाद किराया देना बन्द कर देते थे। और गाड़ियों को सस्ते दामों में बाहरी लोगों को बेच देते थे । आज जो 04 गाड़ियाँ बरामद हुई है। वह भी अलग-अलग व्यक्तियों की है। जिन्होनें किराये पर गाड़ियाँ दी थी। लालच में हम लोगों द्वारा पब्लिक के व्यक्तियों से गाड़ी लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की गयी है । मेरा साथी प्रदीप दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है। उसके विरूद्ध गाड़ियों के सम्बन्ध में ही दिल्ली में भी मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सोनू यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी ग्राम करीपुर गढ़ हापुड उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

1. वाहन स0 UP14FZ4436 VERNA कारवाहन स्वामी रामपाल सिंह पुत्र डालचन्द्र निवासी चित्रकूट कालौनी अर्थला साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. वाहन सं0 HR87G0994 BREZZA LXI कार वाहन स्वामी प्रमाशु पुत्र विरपाल सिंह निवासी एच बी 24 सेन्टमिका स्कूल के पास डबुआ कालौनी फरीदाबाद।
3. वाहन सं0 DL6CT3636 SWIFT DZIRE कार वाहन स्वामी प्रतीक पाराशर पुत्र विरेन्द्र पाल शर्मा निवासी एच डी 50/ए स्ट्रीट -1 भजनपुरा नई दिल्ली।

4. वाहन सं0 MP06ZE7027 SCORPIO S11 कार वाहन स्वामी भूपेन्द्र सिंह तोमर पुत्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम परिक्षित का पुरा श्यामपुर कला अम्बाह मुरैना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा इसके साथी 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी का 01 आउटर ए0सी0 पंखा व01 कैपेसिटर ए0सी0 बरामद।

दिनांक 20.06.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी देवेन्द्र पुत्र हीरालाल के द्वारा लिखित तहरीर देकर अपने आउटडोर ए0सी0 यूनिट के चोरी होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.07.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर हुण्डई कट शालीमार गार्डन से 01 अभियुक्त सुमित बर्नवाल पुत्र दामोदर बर्नवाल निवासी म0नं0 336 भूमिया मंदिर के पीछे रघुबीर एंकलेव पसौण्ड़ा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र- 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा इसके साथी 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से 01 आउटर ए 0सी0 पंखा व01 कैपेसिटर ए0सी0 बरामद। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सुमित बर्नवाल पुत्र दामोदर बर्नवाल निवासी म0नं0 336 भूमिया मंदिर के पीछे रघुबीर एंकलेव पसौडा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र- 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 आउटर ए0सी0 पंखा व 01 कैपेसिटर एसीबरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम